न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 63/2022 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. मोहनलाल पिता जोधा खटीक निवासी बेरीसाल चौराहा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी गंगाराम धाकड़ निवासी सलायटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत सलावटिया प.स. एवं तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रकरण 03/2009–10 फैसल दिनांक 25/07/2009 से जारी पट्टा विक्रय विलेख जरिये संकल्प सं. 03 दिनांक 25/07/2009

उपस्थित –

1. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राधेश्याम धाकड अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04/04/2009 को ग्राम पंचायत के समक्ष इस आशय का पेश हुआ था कि उसे एक भूखण्ड की आवश्यकता है। इस प्रकार यह प्रमाणित था कि गैर निगराकार सं. 01 का आवेदन व कब्जा इस भूखण्ड के बाबत् नहीं होकर बेरीसाल चौराहा पर किसी भी एक भूखण्ड की आवश्यकता थी। पंचायत ने इस आवेदन पर दिनांक 08/04/2009 को पत्रावली कायम कर सचिव द्वारा मौका पर्चा आगामी कौरम में पेश करने का आदेश पारित किया। दिनांक 20/04/2009 को सचिव व वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण पर्चा पेश करने की आदेशिका निष्पादित की गई, जबकि मौका पर्चा दिनांकित 20/04/2009 सचिव या वार्ड पंचो द्वारा तैयार किया गया। मौका पर्चा पर केवल सरपंच ने अपने स्तर पर मौका पर्चा पेश किया है, जिसमें भी डी. एल.सी. दर पर राशि जमा कर पट्टा जारी किये जाने का आदेश सरपंच ने अपने स्तर पर ही पारित कर दिया हैं, जो किसी प्रकार से नियमों के अन्तर्गत न होकर स्पष्ट रूप से मिलीभगत व अवैध आदेश होकर इस पर पारित निर्णय निरस्त योग्य है। आदेशिका दिनांक 20/04/2009 में तलिया वर्षों पुराना होकर कब्जा बताया गया है ओर किसी को कोई आपत्ति नही होना भी आदेशित किया गया है, जबकि इस आशय का कोई रिकॉर्ड

संख्या 1 के नाम से पंचायतीराज अधिनियम में दी गयी व्यवस्था व सुस्थापित नियमों / उपनियमों / शर्तों के तहत् संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर वर्ष 2009–10 में जारी किया है। उक्त जैरबहस भूखण्ड पर निगराकार का कभी कब्जा या भुगतभोग नहीं रहा है, ना ही आज है। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा उक्त भूखण्ड पर एक कमरा बरामदा बना रखा है तथा चारो ओर पत्थर की कोट लगा रखी है तथा निर्माण कार्य कराने हेतु गैरनिगराकार संख्या 01 ने पत्थर के ट्रिप डाल रखे है। उक्त भूखण्ड को निगराकार ने अपना गलत तौर बताया है तथा स्वयं का निर्माण भी गलत तौर पर बताया है। जहां तक विद्युत संबंध का प्रश्न है तो उसके संबंध में निवेदन है कि गैरनिगराकार संख्या 01 का एक पुत्र भीलवाड़ा रहता है जहां गैरनिगराकार संख्या 01 आती–जाती है तथा निगराकार ने गैरनिगराकार संख्या 01 के भीलवाड़ा प्रवास के दौरान ही गैरनिगराकार संख्या 01 के इस भूखण्ड पर कब्जा करने की गरज से पंचायत कर्मचारियों से मिलीभगत करके फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त भूखण्ड पर अपने नाम से गलत तौर विद्युत कनेक्शन केवलमात्र भूखण्ड हड़पने के लिए ले लिया जिसके लिए जवाबदार निगराकार के विरूद्ध अलग से फौजदारी कार्यवाही करायेगी। दिनांक 04.04.2009 के आवेदन के आधार यह मान लेना कि गैरनिगराकार संख्या 01 का इस विवादित भूखण्ड पर कब्जा नहीं होना मानना कतई हास्यास्पद है। गैरनिगराकार संख्या 01 का इस भूखण्ड पर 30 साल से कब्जा व भुगतभोग चला आ रहा है जिसका विक्रय विलेख अपने पक्ष में करवाने हेतु पंचायतीराज नियमों के तहत् गैरनिगराकार संख्या 01 ने दिनांक 04.04.2009 को पंचायत मे आवेदन किया और पंचायती राज अधिनियम के नियमों / उपनियमों / शर्तों की पालना करते हुए ही गैरनिगराकार संख्या 2 द्वारा उक्त भूखण्ड का विकय विलेख सही तौर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में किया है जो किसी सूरत में खारिज किये जाने योग्य नहीं है। मौका पर्चा सही तौर पूर्ण जांच पड़ताल कर जारी किया गया है। प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर गैरनिगराकार संख्या 01 सुशीला 30 साल से अधिक समय से काबिज होकर गैरनिगराकार संख्या 01 ने एक कमरा, बरामदा व पत्थर की कोट करवा रखी है तथा अन्य निर्माण हेतु पत्थर के ट्रिप भी डाल रखे है व गैरनिगराकार संख्या 01 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रश्नगत पटटा भूखण्ड का गैरनिगराकार संख्या 01 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया जिसके लिए गैरनिगराकार संख्या 01 ने जरिये रसीद संख्या 17 दिनांक 05.06.09 को 20000/– रूपये तथा जरिये रसीद संख्या 47 दिनांक 25.07.2009 को 28400/– रूपये कुल 48400/– रूपये पंचायत में जमा करवाकर विक्रय करवाया तथा साधिकार उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग

करती आ रही है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गयी मिसल पत्रावली पर आज्ञाओं की सूची, मौका पर्चा, आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र, वार्ड पंचों द्वारा किया गया मौका निरीक्षण पत्र, नक्शा आबादी भूमि का तलिया का संलग्न हैं जिसमें अलग – अलग प्रपत्रों पर सरपंच, वार्ड पंच एवं पटटाधारी के हस्ताक्षर हैं। इस बाबत् निगराकार अधिवक्ता ने कोई खण्डन नही किया एवं न ही इनके खण्डन में कोई प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

पत्रावली परीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत पटटा भूखण्ड को गैरनिगराकार संख्या 01 के पक्ष में विक्रय विलेख कर निष्पादित किया गया। जिसके लिए गैरनिगराकार संख्या 01 द्वारा जरिये रसीद संख्या 17 दिनांक 05.06.09 को 20000/– रूपये तथा जरिये रसीद संख्या 47 दिनांक 25.07.2009 को 28400/– रूपये कुल 48400/– रूपये पंचायत में जमा करवाकर विक्रय विलेख अपने पक्ष में निष्पादित करवाया गया। इस बाबत् निगराकार अधिवक्ता ने कोई खण्डन नही किया एवं न ही इनके खण्डन में कोई प्रमाणिक दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं।

निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में अंकित प्रश्नगत पटटा भूखण्ड पर स्वयं का कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार का प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम के तहत निगरानी आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत सलावटिया पंचायत समिति बिजौलिया को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,